भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 535

उत्तर देने की तारीख-04/02/2026

स्कूली विद्यार्थियों के बीच डराने-धमकाने और साइबर बुलिंग पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण

535 **श्रीमती सुधा मूर्ती:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्कूली विद्यार्थियों के बीच डराने-धमकाने और साइबर बुलिंग की बढ़ती घटनाओं और उनके मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक परिणामों और सामाजिक व्यवहार पर पड़ने वाले संभावित अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों से अवगत है; और

(ख) क्या सरकार विद्यार्थियों में डराने-धमकाने और साइबर बुलिंग की व्यापकता, कारणों और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यवहारिक प्रभावों का आकलन करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण करने का विचार रखती है, ताकि साक्ष्य-आधारित नीतिगत हस्तक्षेपों की जानकारी मिल सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है, जिसमें अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत आते हैं। शिक्षा मंत्रालय, अपनी ओर से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 द्वारा निर्देशित है जो मानसिक स्वास्थ्य के मामलों के बारे में जागरूकता पैदा करने, शैक्षणिक तनाव को कम करने, आनंदमय अधिगम को बढ़ावा देने और इष्टतम अधिगम परिणामों के लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देती है।

इस उद्देश्य के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय समय-समय पर स्कूल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अध्ययन आयोजित करता है, जिसमें छात्रों की सुरक्षा और मानसिक कल्याण शामिल है। स्कूल के छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण, एक सर्वेक्षण, 2022 एनसीईआरटी में मनोदर्पण सेल द्वारा जनवरी-मार्च, 2022 के बीच 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 3,79,842 छात्रों पर किया गया था। देश में अपनी तरह के सबसे बड़े सर्वेक्षणों में

से एक, इस सर्वेक्षण ने कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों की उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित पहलुओं पर अवधारणा का पता लगाया। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष जो छात्रों के बीच शैक्षणिक दबाव, खराब शारीरिक छवि और साथियों के साथ अनुपालन करने के दबाव के बारे में बताते हैं, www.manodarpan.education.gov.in/assets/downloads/Mental_Health_WSS_A_Survey.pdf पर उपलब्ध हैं।

भारत के 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 21 लाख से अधिक छात्रों के अधिगम परिणामों का आकलन करने के लिए दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र-परख (एनसीईआरटी) द्वारा आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 (पूर्व में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक चर जैसे स्कूल का वातावरण, छात्रों की सुरक्षा और साथियों का व्यवहार जैसी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की रिपोर्टें https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं, जो लक्षित कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच मूल्यांकन सह सर्वेक्षण के निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक समर्पित डैशबोर्ड है।

वर्ष 2024 के परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, 96% स्कूलों ने छात्र व्यवहार और सुरक्षा नीतियों को लागू करने की सूचना दी है, जबकि 70% ने एंटी-बुलिंग नीतियों की सूचना दी है। एंटी-बुलिंग उपायों को सुदृढ करने, सहकर्मी समावेशिता को बढ़ावा देने और अन्य उपायों के अतिरिक्त प्रमुख सुरक्षा नीतियों को लागू करने के लिए सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सक्रिय रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है, जो समग्र सीखने के अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं।

मानसिक अवसाद की घटनाओं पर अतीत और हाल के निष्कर्षों के प्रति संवेदनशील होने के कारण, इस विभाग ने स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र में मानसिक और भावनात्मक कल्याण में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। देश भर में वंचित क्षेत्रों सहित छात्रों, परिवारों और शिक्षकों को व्यापक मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए, एक टोल-फ्री राष्ट्रीय टेली-हेल्पलाइन नंबर 844-844-0632 को जुलाई 2021 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मनोदर्पण पहल के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। दिनांक 31.01.2026 तक, प्रशिक्षित काउंसलरों के माध्यम से मार्गदर्शन विभिन्न कॉल करने वालों, ज्यादातर छात्रों से प्राप्त लगभग 3,20,576 कॉल तक बढ़ाया गया है। मनोदर्पण छात्रों के लिए एक संसाधन के रूप में https://manodarpan.education.gov.in पर स्कूल और कॉलेज/विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर काम करने वाले 350 से अधिक काउंसलरों की निर्देशिका भी उपलब्ध कराता है।

डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए, मनोचिकित्सकों - सहयोग के साथ लाइव इंटरैक्टिव सत्र और छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रासंगिक मानसिक स्वास्थ्य मामलों पर पैनल चर्चा-

परिचर्चा - को मनोदर्पण पहल के एक भाग के रूप में पीएम ई-विद्या चैनलों पर नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है। इन चर्चाओं के विषय छात्रों के बीच विभिन्न तनावों पर केंद्रित हैं, जिनमें बुलिंग, साइबर, डिजिटल और मादक द्रव्यों की लत शामिल हैं। दिनांक 31.01.2026 तक कुल 1,465 'सहयोग' सत्र और 253 'परिचर्चा' सत्र प्रसारित किए गए हैं।

एनसीईआरटी ने शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों की क्षमता बढ़ाने के लिए हैंडबुक, गाइड, गतिविधि पुस्तकें और सिफारिश सामग्री जैसे कई संसाधन विकसित किए हैं, जिसमें बुलिंग या साइबर बुलिंग जैसे जोखिम कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। "स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की प्रारंभिक पहचान और कार्यक्रम 2024" नामक पुस्तिका, https://manodarpan.education.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य मामलों पर शोध पर आधारित है और किशोरावस्था के बीच आक्रामकता और धमकाने के संभावित कारणों और संभावित प्रभाव पर प्रकाश डालती है। यह शिक्षकों और संबद्ध हितधारकों को धमकाने का सामना करने वाले छात्रों के साथ-साथ धमकाने की प्रवृत्ति वाले छात्रों में शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करता है, ताकि सभी हितधारकों के बीच प्रारंभिक कार्यक्रम के लिए संवेदनशीलता का निर्माण किया जा सके।

एनसीईआरटी शिक्षकों को मार्गदर्शन पदाधिकारी के रूप में प्रशिक्षित करने और छात्रों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण को सुविधाजनक बनाने के लिए 'संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण' को लागू करने के लिए परामर्शदाताओं और चिकित्सकों को तैयार करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, 250 से अधिक सेवाकालीन स्कूल शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, स्कूल प्रशासकों के साथ-साथ अप्रशिक्षित मार्गदर्शन कर्मियों को शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग (डीईपीएफई), एनसीईआरटी द्वारा दिए जाने वाले मार्गदर्शन और परामर्श में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने इस विभाग के तत्वावधान में यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियामक संरचना और वास्तुकला पेश की है कि बोर्ड से संबद्ध स्कूल बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य स्थान बने रहें, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत परिकल्पित है। संरचनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

I. बोर्ड के संबद्धता उप-नियम-2018 में यह निर्धारित किया गया है कि "प्रत्येक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एक व्यक्ति को पूर्णकालिक आधार पर परामर्शदाता और कल्याण शिक्षक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करेगा"।

II. बोर्ड ने परिपत्र संख्या एसीएडी-17/2015 दिनांक 09.03.2015 के माध्यम से बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में धमकाने और रैगिंग की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

[https://cbseacademic.nic.in/web_material/Circulars/2015/17_Prevention%20of%20Bullying%20&%20Ragging%20in%20Schools.pdf]

III. बोर्ड ने परिपत्र संख्या 2019 के तहत एक अधिसूचना सीबीएसई/एएफएफ/स्कूल सुरक्षा19/ दिनांक 12.09.2017 ने स्कूलों में बच्चों की शारीरिक सुरक्षा, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अपने संबद्ध स्कूल को विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। [https://www.cbse.gov.in/cbsenew/Examination_Circular/2017/16_CIRCULAR.pdf]

IV. बोर्ड ने परिपत्र संख्या एएफएफ-24 / 2023 दिनांक 01.09.2023 के माध्यम से संबद्ध स्कूलों में छात्रों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। [https://saras.cbse.gov.in/saras/Circulars/Circular24_20236382918955428425 23.pdf]

उपरोक्त के अतिरिक्त, बाल अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए शीर्ष निकाय, अर्थात; राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने स्कूलों में धमकाने और साइबर धमकाने की रोकथाम पर दिशानिर्देश और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा पर मैनुअल भी विकसित और प्रसारित किया है जो एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ये संसाधन साइबर धमकाने, स्कूलों, घर और साइबरस्पेस में उनकी रिपोर्टिंग और रोकथाम के लिए रणनीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें स्कूल शिक्षकों और प्रबंधन के लिए करने योग्य और न करने योग्य के साथ-साथ शिक्षकों और देखभाल करने वालों के लिए सिफारिशें भी शामिल हैं।

****